

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक-नर्सिंग/ग्रा0नर्स-2/( )/09/ 634

दिनांक- 26/8/09

- 1-समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-
- 2-समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

विषय:- रिट संख्या-10050/09 द्वारा श्री बृजबिहारी नागर अभ्यर्थी  
ग्रामीण नर्स-द्वितीय में पारित स्थगन आदेश दिनांक-24.8.09  
की पालना किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय,  
जयपुर पीठ द्वारा दिनांक-24.8.09 को अन्तरिम आदेश फरित कर, ग्रामीण नर्स-द्वितीय  
की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश की पालना में किसी भी  
ग्रामीण नर्स-द्वितीय को कार्यग्रहण नहीं करावें। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश की  
पालना सुनिश्चित किये जाने की आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राज0 जयपुर

क्रमांक-नर्सिंग/ग्रा0नर्स-2/( )/09/ 634  
प्रतिलिपि निम्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक- 26/8/09

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय को उनके पत्र क्रमांक-प-2 (1864)निचिस्वा/  
विधि/09/221 दिनांक-26.8.09 के क्रम में।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय एवं प्रभारी अधिकारी केस, को प्रेषित कर लेख  
है कि मा0 उच्च न्यायालय से रिट की प्रति प्राप्त कर, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत  
करें ताकि याचिका की तथ्यात्मक रिपोर्ट दी जा सके।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राज0 जयपुर